

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू


(पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. : 117/2019

रतन लाल वगै० बनाम चमेली वगै०


वादीगण की ओर से अधिवक्ता अजय मुंदड़िया तथा प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट ममता वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 21/2/25 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम/कस्बा झुन्झुनू के हाल भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 0.01 है०, 410 रकबा 0.03 है०, 411 रकबा 2.19 है०, 4520/412 रकबा 1.20 है० कुल कित्ता 4 कुल रकबा 3.43 है० कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

धर्चा डिक्री आज दिनांक 21/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	26	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान	500	खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	530	योग	1


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)